संख्याः 48/2022/1139/87-8(1)अति0ऊ0स्रो0वि0/2022

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग/वित्त विभाग/राजस्व विभाग/
न्याय विभाग/कृषि विभाग/नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन ।

2- निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊः दिनांकः 12 अक्टूबर, 2022**

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022"** के अंतर्गत अपशिष्ट/बायोमास आधारित जैव ऊर्जा उद्यम की स्थापना हेतु इच्छुक विकासकर्ता द्वारा उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के स्तर पर परीक्षणोंपरान्त आवेदन संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में विकासकर्ता को स्वीकृति पत्र प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान करने के लिये नीति के प्रस्तर-6.10 में दिए गये प्राविधान के अनुसार **राज्य स्तरीय समिति** का गठन निम्नवत् किया जाता हैः-

1	अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अन्यून प्रतिनिधि	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अन्यून प्रतिनिधि	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अन्यून प्रतिनिधि	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अन्यून प्रतिनिधि	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अन्यून प्रतिनिधि	सदस्य
7	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अन्यून प्रतिनिधि	सदस्य
8	केन्द्र/राज्य के लब्ध प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ (यूपीनेडा द्वारा नामित)	सदस्य
9	निदेशक, यूपीनेडा	सदस्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपर्युक्त सदस्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अध्यक्ष अन्य अधिकारियों को विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित कर सकेंगे। उक्त समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी।

2- यह समिति निम्न दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करेगी:-

1. इस नीति के तहत अधिक से अधिक निवेश प्राप्त हो।
2. विकासकर्ता द्वारा जमा कराये गये अभिलेखों के यूपीनेडा स्तर पर परीक्षणोपरान्त, संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में विकासकर्ता को स्वीकृति पत्र निर्गत करना।
3. जिन निवशकों को स्वीकृति दे दी गयी है, उनके क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना तथा उनके क्रियान्वयन में यदि कोई समस्या आ रही हो तो उसका निराकरण कराना।
4. इस नीति के क्रियान्वयन में यदि कोई व्यवहारिक समस्या संज्ञान में आती है तो उसमें संशोधन के लिए संस्तुतियां प्रदान करना।

3- अतः अनुरोध है कि कृपया राज्य स्तरीय समिति की बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु उक्तानुसार अपना प्रतिनिधि/विशेषज्ञ नामित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्याः 48/2022/1139(1)/87-8(1)अति0ऊ0स्रो0वि0/2022 एवं दिनांकः 12 अक्टूबर, 2022</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2-अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3-निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 ।
4-कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इनवेस्ट यू0पी0।
12- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
15- निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण(यूपीनेडा)
16- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
17-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सुनील कुमार चौहान
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in